न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 09/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– राजेश डागा पुत्र श्री जोरावरमल डागा जाति डागा निवासी वार्ड संख्या 29, बोथरों का बास, सरदारशहर जिला चूरू।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

राजस्थान राज्य।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :– श्री राजेन्द्रसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री कमलजीतसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20.08.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 06.03.2018, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्ति की सूचना प्रेषित की गयी, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष दिनांक 22.09.16 को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू, एवं उप वन संरक्षक चूरू से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 16.2.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने एवं खतरे सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं होने तथा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 6.3.18 अपीलांट के निमित जारी कर बतौर सूचना अपीलांट को सूचित किया कि "नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है, प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पत्रावली

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में ऐसा कोई साक्ष्य/ दास्तावेज शामिल नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। तद्नुसार सूचना प्रेषित है।" उक्त सूचना पत्र से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेन्द्रसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूतों पर गौर नहीं किया है। जिला कलक्टर, चूरू के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें आवेदन किया कि अपीलार्थी व्यापारी है। व्यापार के सिलसिले में नियमित रूप से भ्रमण करना होता है। व्यापारियों के साथ आये दिन लूटपाट होती है, इसलिए अपीलार्थी को भी जान–माल का खतरा महसूस हो रहा है। इसी आधार पर अपीलार्थी ने अपनी आत्मसुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया था । अपीलार्थी के आवेदन करने पर अपीलार्थी के चरित्र सत्यापन हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू एवं वन विभाग से भी जांच कर रिपोर्ट ली गई है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में आवेदन पत्र खारिज किये जाने के संबंध में जो आधार लिये हैं वह उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिये गये कारणों के संबंध में समुचित साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अपीलान्ट के आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 16.2.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने तथा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अपीलांट ने कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित अपीलाधीन आदेश में जो आधार लिये गये हैं, वह उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.9.16 को जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.10.16 के अनुसार अपीलांट व्यापारी है । विद्वानअभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट को व्यापार के सिलसिले में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेंस की आवश्यकता है। परन्तु अपीलांट को अपनी जान–माल का खतरा होने संबंधी कोई साक्ष्य या सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 16.2.17 में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं की गयी है एवं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जीवन के खतरे सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये इसके अलावा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जाने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त करने पर पत्र दिनांक 6.3.18 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है । अपीलांट द्वारा अपनी आत्म सुरक्षा के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश 27.2.18 एवं सूचना दिनांक 6.3.18 में जो आधार लिये गये हैं, वह उचित है । हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.18 एवं सूचना पत्र दिनांक 6.03. 2018,जिसके विरुध्द अपील की गयी, को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 20.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर